[2023] 3 एस.सी.आर. 523

केरिव्रियेसाटुओ टीईपी ईटीसी. वी.

बनाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

(आपराधिक अपील संख्या 415-417/2019)

12 अप्रैल, 2023

[न्या. बी. आर. गवई और न्या. संजय करोल]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967।39, 40, 43डी (5) के तहत जमानत-विशेष न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से संगठन की मांगों के आगे घुटने नहीं टेके थे और जांच एजेंसी ने स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्ति जांच में सहयोग कर रहे थे-जमानत विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई थी-हालांकि, उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था-आयोजितःएस की उप-धारा (5) के तहत दोहरी आवश्यकताएं हैं। 43डी-पहला यह कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए-दूसरा, कि अदालत की राय है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सच है-तत्काल मामले में, पहली आवश्यकता पूरी की गई-जहां तक दूसरी आवश्यकता का संबंध है, उक्त अधिनियम की धारा 39 और 40 के अवलोकन से ही पता चलेगा कि किसी अधिनियम को उस धारा के अर्थ के भीतर अपराध के रूप में गठित करने के लिए, इसे गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किया

जाना चाहिए-अदालत को उन लोगों के बीच अंतर करना होगा जो अपनी इच्छा से जबरन वसूली करते हैं और जिन्हें मजबूरी से भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है-विशेष न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन खंड यह दिखाने में समर्थ नहीं था कि

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1. उक्त अधिनियम की खंड 43डी की उप-खंड (5) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त आवश्यकता दोहरी है। पहला यह है कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कि न्यायालय की राय है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सत्य है। [पैरा 14] [529-सी] ए

2. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, पहली आवश्यकता का पालन किया गया है। जहां तक न्यायालय के संबंध में दूसरी आवश्यकता का इस संतोष पर पहुंचने का संबंध है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सच है, यह न्यायालय साक्ष्य की विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इससे मुकदमे के चरण में पक्षों के अधिकारों में बाधा आ सकती है। [पैरा 15] [529-डी-ई]

3. हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 39 और 40 के अवलोकन से, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, यह पता चलेगा कि प्रथमदृष्टया संतोष होना चाहिए कि अभियुक्तों द्वारा किए गए कार्य एक आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए हैं। [पैरा 17] [529-जी]

4. विशेष न्यायाधीश ने स्वयं उन व्यक्तियों के मामलों को अलग किया है जिन्होंने संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जबरन वसूली में लिप्त हुए हैं और वर्तमान अपीलार्थियों जैसे व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी

थे, और राशि का योगदान करने के लिए मजबूर थे। इसलिए इस न्यायालय ने पाया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई प्रथमदृष्टया राय को विकृत या असंभव कहा जा सकता है। [पैरा 19] [530-बी]

थवाहा फसल बनाम भारत संघ **(2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1000;** *राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली* **(2019) 5 एस. सी. सी. 1: [2019] 5 एससीआर 1060;** *रणजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम राज्य महाराष्ट्र और एक अन्य (2005) 5 एस. सी. सी.[2005]* **3 एस. सी. आर. 345-संदर्भित।**

निर्णयज विधि संदर्भ

[2019] 5 एससीआर 1060 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है

[2005] 3 एससीआर 345 में अनुच्छेद 13 संदर्भित है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय संख्या 415-417/2019

आप.अ. सं. 416,417 और 419/2017 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

दाण्डिक अपीलीय सं. 418/2019।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, नंदादेवी डेका, सव्यसाची रावत, एम. पाधी, आनंद वर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, रजत नायर, सुश्री सुहासिनी सेन, हरीश पांडे, वत्सल जोशी, विनायक शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री भव्य पांडे, अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्या. बी. आर. गवई,

1. 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 415-417 और 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 418 क्रमशः 8 मई 2018 और 3 सितंबर 2018 के निर्णयों और आदेशों को चुनौती देती हैं, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ द्वारा पारित किए गए थे, जिसके अनुसार अपीलार्थियों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।

2. 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 415-417 में अपीलार्थियों को 13 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 418 में अपीलार्थी को 25 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

3. 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 415-417 और 2019 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 418 में अपीलकर्ताओं ने जमानत देने के लिए विद्वान विशेष अदालत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नागालैंड, दीमापुर (इसके बाद 'एन.आई.ए.' के रूप में संदर्भित) का रुख किया। क्रमशः 17 अक्टूबर 2017 और 28 मार्च 2018 के आदेशों के माध्यम से, उक्त आवेदनों को अनुमति दी गई।

4. इससे व्यथित होकर एन.आई.ए. ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील दायर की। खण्ड पीठ ने विवादित आदेशों के माध्यम से अपीलों को

स्वीकार कर लिया और 17 अक्टूबर 2017 और 28 मार्च 2018 के आदेशों को उलट दिया।

5. 28 मई 2018 और 20 सितंबर 2018 के आदेशों के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों पर भी रोक लगा दी।

6. हमने अपीलार्थियों के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री आर. बसंत और प्रतिवादी/एन.आई.ए. की ओर से पेश वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वी. मोहना को सुना है।

7. श्री बसंत प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह पता लगाने के बाद कि संगठन की मांगों के आगे झुकने का अपीलकर्ताओं का कार्य स्वैच्छिक नहीं था और जांच एजेंसी ने स्वयं स्वीकार किया था कि आरोपी व्यक्ति स्वेच्छा से जांच में सहयोग कर रहे थे, जमानत दे दी गई थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की ओर से विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेशों में हस्तक्षेप करना और अपीलार्थियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करना उचित नहीं था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यह न्यायालय ***थवाहा फसल बनाम भारत संघ*** के मामले में यह अभिनिर्धारित करता है कि जमानत देने के चरण में भी, अभियोजन पक्ष को प्रथमदृष्टया यह स्थापित करना होगा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" को संदर्भित किया गया है) की धारा 39 और 40 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए पुरुष कारण था। उन्होंने आगे कहा कि भले ही अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया, उनकी सेवाएं निलंबित नहीं की गई हैं और वे अभी भी अपनी-अपनी नौकरियों में बने हुए हैं।

8. श्रीमती. वी. मोहना प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ ने जमानत देने के आदेशों को सही ढंग से पलट दिया है। वह प्रस्तुत करती हैं कि अपीलार्थीयों ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने संगठन को धन का भुगतान किया है। वह आगे प्रस्तुत करती हैं कि पूरक आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि रसीदें अपीलार्थियों के हस्तलेखन में हस्ताक्षरित हैं। इसलिए, वह प्रस्तुत करती हैं कि वर्तमान अपीलार्थियों को विचाराधीन अपराध से जोड़ने के लिए यहां एक प्रथमदृष्टया सामग्री है।

9. श्रीमती. मोहना आगे उक्त अधिनियम की धारा 43घ की उप-धारा(5) के प्रावधानों पर इस दलील को पुष्ट करने के लिए भरोसा करते हैं कि चूंकि प्रथमदृष्टया मामला बनता है, इसलिए अपीलार्थी जमानत के हकदार नहीं थे और इस तरह, उच्च न्यायालय ने आदेशों को सही ढंग से पलट दिया है।

10. उन्हें जमानत देते समय विद्वान विशेष न्यायाधीश के निम्नलिखित अवलोकन का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः-

“मैंने इस विशिष्ट स्थिति पर विचार किया है जिसमें जबरन वसूली करने वालों और कर दाताओं के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो बाधाओं में हैं। विद्वान विशेष पी. पी., एन.आई.ए. द्वारा यह तर्क देना भी पूरी तरह से सही है कि याचिकाकर्ताओं को कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सुरक्षा का सहारा लेना चाहिए। हालांकि, मेरे विचार में कर का भुगतान करने के लिए मजबूर अभियुक्तों की स्थिति अनिश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां हमेशा अपनी सुरक्षा और उल्लंघन के लिए दंड के लिए मौजूद नहीं हो सकती हैं जो हमेशा प्रमुख होता है। इन दिए गए तथ्यों के तहत हम आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत की ओर आकर्षित होते हैं जो यह मानता है कि जब कोई पुरुष अधिकार

नहीं होता है तो कोई अपराध नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने निस्संदेह अपराध किया है, लेकिन यह एक ऐसा अपराध है जो धमकी के तत्व से प्रेरित है।हम 2017 एन. आइए बनाम दाण्डिक अपीलीय सं 4 (के) की ओर आकर्षित हैं। विक्टो स्वू, जिस पर विशेष पी. पी., एन. आइए द्वारा भरोसा किया जाता है, जहाँ विद्वान पी. पी. एन. आइए की प्रस्तुति को "उसके बाद आई. ए". के रूप में दर्ज किया जाता है। पी. पी. एन. आइए ने प्रस्तुत किया कि यह दस्तावेज़ सबूत के एक टुकड़े के रूप में जो यह साबित करेगा कि प्रतिवादी/अभियुक्त नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से एन. एस. सी. एन. (के) के लिए धन उगाही कर रहा था "यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान आरोपी जबरन वसूली करने वालों के शिकार हैं, जैसे कि विक्टो स्वू और इन दो व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए अदालत पर अनिवार्य कर्तव्य डाला गया है-जो अपनी इच्छा से जबरन वसूली करते हैं और जो मजबूरी से कर का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं, यह न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करेगा। विशेष न्यायाधीश पर यह जाँचने के लिए जो मानसिक अभ्यास किया जाता है कि क्या तत्काल मामले में प्रथमदृष्टया कोई सच्चा मामला है, इस प्रकार ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करने के लिए न्यायालय के हाथों को बांधने की आवश्यकता से कम है। अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखा पाया समर्थ कि वास्तव में आरोपी अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी संगठनों के वित्तपोषण में स्वेच्छा से योगदान दे रहे समर्थं। अदालत के अवलोकन के लिए लाए गए सी. डी. से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति जबरन वसूली करने वाले या यू. जी. गुटों के समर्थक हैं, और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि आरोपी व्यक्ति गैरकानूनी संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं। एक रेखा खींची जानी चाहिए जो अभियुक्त विक्टो स्वू और वर्तमान अभियुक्त व्यक्तियों की पसंद को अलग करती है। वर्तमान तथ्यों

में संतुलन यह दिखाने के लिए अधिक इच्छुक है कि आरोपी परिस्थितियों के शिकार हैं और उन्हें आतंकवादी के बराबर रखना गंभीर अन्याय होगा। जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि आरोपी वास्तव में गैरकानूनी संगठनों के समर्थक हैं और वे गैरकानूनी संगठनों को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा से धन से वंचित कर रहे हैं, तब तक यह निष्कर्ष निकालना पूर्वाग्रहपूर्ण होगा कि प्रथमदृष्टया सही सबूत है। यह तथ्य कि अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षा नहीं ली है और प्राधिकरण को मामले की सूचना नहीं दी है, उन्हें आतंकवादी नहीं मान सकते।

इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सही सबूत नहीं है कि वे सहानुभूति रखने वाले हैं और वे स्वेच्छा से गैरकानूनी संगठनों में योगदान दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जांच एजेंसी को भी आरोपी व्यक्तियों से कोई भी जानकारी हासिल करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि एन. आई. ए. ने स्वीकार किया है कि आरोपी व्यक्ति और स्वेच्छा से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सौंपकर जांच में सहयोग कर रहे हैं जिनकी जांच के लिए आवश्यकता है। अभियुक्त व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी हैं और जिनकी समाज में गहरी जड़ें हैं, उनके लिए जमानत से बचने की कोई संभावना नहीं है।"

11. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी संख्या. 1 से 3 तक, जो संगठन के पदाधिकारी थे, नियमित रूप से विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों से धन की वसूली कर रहे थे। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है कि न्यायालय को उन लोगों के बीच अंतर करना होगा जो अपनी इच्छा से जबरन वसूली करते हैं और जिन्हें मजबूरी से भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। अदालत ने पाया है कि

अभियोजन पक्ष यह दिखाने में समर्थ नहीं है कि आरोपी अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी संगठनों के वित्तपोषण में स्वेच्छा से योगदान दे रहे हैं। विशेष न्यायाधीश ने यह भी पाया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता जबरन वसूली करने वालों या यू.जी. गुटों के समर्थक थे। अदालत ने आगे पाया कि जांच एजेंसी ने खुद स्वीकार किया था कि आरोपी व्यक्ति स्वेच्छा से जांच में सहयोग कर रहे थे।

12. खण्ड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने स्वयं दर्ज किया है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने अपराध किया था, हालांकि उक्त अधिनियम की धारा 43 घ(5) के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धमकी के एक तत्व से प्रेरित होकर, जमानत के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

13. उक्त अधिनियम की धारा 43घ(5) के प्रावधानों पर इस न्यायालय द्वारा ***थवाहा फसल*** (उपर्युक्त) के मामले में विचार किया गया है। न्यायालय, धारा 43घ(5) के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद और ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली और रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,*** मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा दायर जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय, जिनके खिलाफ उक्त अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराध किए गए हैं, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथमदृष्टया सत्य है। यह ध्यान देने योग्य होगा कि इस न्यायालय ने ***जहूर अहमद शाह वटाली*** (उपरोक्त) के मामले में, वर्तमान अधिनियम में '*प्रथमदृष्टया*' शब्दों के खिलाफ टाडा, मकोका और एनडीपीएस अधिनियम

में उपयोग किए गए 'दोषी नहीं' शब्दों को अलग किया है। अदालत ने माना है कि 'दोषी नहीं' के मामले में आवश्यक संतुष्टि की मात्रा उस मामले में आवश्यक संतुष्टि की तुलना में बहुत अधिक है जहां उपयोग किए गए शब्द '*प्रथमदृष्टया* हैं।'

14. उक्त अधिनियम की धारा 43(घ) की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त आवश्यकता दोहरी है। पहला यह है कि लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कि न्यायालय की राय है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप *प्रथमदृष्टया* सत्य है।

15. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, पहली आवश्यकता का पालन किया गया है। जहां तक न्यायालय के संबंध में दूसरी आवश्यकता का इस संतोष पर पहुंचने का संबंध है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आरोप *प्रथमदृष्टया* सच है, हम साक्ष्य की विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इससे मुकदमे के चरण में पक्षों के अधिकारों में बाधा आ सकती है।

16. यह आगे खुलासा करेगा कि न केवल आरोप-पत्र बल्कि पूरक आरोप-पत्र भी दायर किया गया है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में, "एफ.एस.एल".) रिपोर्ट से पता चलता है कि रसीदें अपीलार्थियों के हाथ से लिखी गई हैं। चाहे जो भी हो, यह अपीलार्थियों का मामला भी नहीं है कि उन्होंने भुगतान नहीं किया। यह उनका तर्क है कि उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार, उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

17. हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 39 और 40 के अवलोकन से, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या

की गई है, यह पता चलेगा कि *प्रथमदृष्टया* संतोष होना चाहिए कि अभियुक्तों द्वारा किए गए कार्य एक आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए हैं।

18. उक्त अधिनियम की धारा39 और 40 के अवलोकन से ही पता चलेगा कि किसी कार्य को उस धारा के अर्थ के भीतर अपराध के रूप में गठित करने के लिए, इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने, ***थवाहा फसल*** (उपर्युक्त) के मामले में, उक्त अधिनियम की धारा39 के प्रावधानों पर विचार करते हुए भी इसी तरह का विचार रखा है।

19. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने स्वयं उन व्यक्तियों के मामलों को अलग किया है जिन्होंने संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जबरन वसूली में लिप्त हुए हैं और वर्तमान अपीलार्थियों जैसे व्यक्ति, जो सरकारी कर्मचारी थे, और राशि का योगदान करने के लिए मजबूर थे। इसलिए, हम पाते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि *प्रथमदृष्टया* जैसा कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया है, इसे विकृत या असंभव कहा जा सकता है।

20. अपील न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और विशेष रूप से उस मामले में जब किसी नागरिक को दी गई स्वतंत्रता को छीन लिया जा रहा था, केवल उस स्थिति में आवश्यक होगा जब निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण या तो विकृत या असंभव था। इस सीमित आधार पर, हम पाते हैं कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

21. इसलिए, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और अपीलों की अनुमति दी जाती है।

22. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी को मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान अपीलों की अनुमति दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*